PRINCIPAL
GIRIDIH COLLEGE, GIRIDIH – 815301
(A Constituent Unit of Vinoba Bhave University)
Hazaribag

Mob:- 8539946903
giridihcollegegiridih@gmail.com
E-mail : dranujk2@gmail.com

Ref :- G/Gen/596/2025

Date 10/11/2025

सेवा में

कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग

विषयः– कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के पत्र के अनुसार संस्थान में कार्यरत संविदा कर्मी तथा दैनिक वेतन प्राप्त कर्मी के पंजीकरण से संबंधित

महाशय,

सादरपूर्वक सूचित करना है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, शाखा कार्यालय, गिरिडीह चिरैयाघाट रोड, बरमसिया, गिरिडीह से प्राप्त पत्र संख्या 60/ शा० का०/ गिरि/ स्प्री योजना/ विविध 2025 दिनांक 22/10/25 के अनुसार अपने संस्थान को स्प्री योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। जिसके अंतर्गत संस्थान में काम करने वाले संविदा कर्मी या दैनिक मानदेय कर्मी पर उक्त योजना को लागू करने की मॉंग की गई है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस संबंध में दिशानिर्देश देने की कृपा की जाय ।

सूचनार्थ

REGISTRAR'S OFFICE
RECEIVED
J. Tirki
14.11.25
Vinoba Bhave University, Hazaribag

भवदीय

10/11/25

प्राचार्य

PRINCIPAL
GIRIDIH COLLEGE
GIRIDIH

संलग्नकः–
1.कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम, गिरिडीह के पत्र की छायाप्रति

प्रतिलिपि – श्री अमर कुमार सिन्हा
शाखा प्रबंधक
शाखा कार्यालय, क० रा० बी० निगम
गिरिडीह (झारखण्ड)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क.रा.बी.नि.
ESIC
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
सत्यमेव जयते
शाखा कार्यालय, गिरिडीह
चिरैयाघाट रोड, बरमसिया,
गिरिडीह(झारखण्ड) – 815301
BRANCH OFFICE, GIRIDIH
Chiraiyaghat Road, Baramasia,
Giridih(Jh) - 815301
Email- bo-giridih.jh@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Phone :
06532-296010

पत्र सं. : 60/शा.का./गिरि/स्प्री योजना/विविध/2025 दिनांक – 22.10.2025

S.O (G)
08/11/25

सेवा मे,

Principal
Giridih College Giridih
गिरिडीह(झारखंड) - 815301

विषय: अपने संस्थान को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत व्याप्त करने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित करना है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। जिसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्त क्षेत्रों में आने वाले उन सभी कारखानों/संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों(निजी, अनुदान प्राप्त अथवा आंशिक अनुदान प्राप्त) जिनका संचालन व्यक्तियों, न्यासधारियों, समितियों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनके अंतर्गत 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो अथवा पिछले 12 महीनें के किसी भी दिन में कार्यरत रहे हो, वहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 लागु होता है एवं अधिनियम के तहत उक्त संस्थान का पंजीकरण कर्मचारी राज्य बीमा निगम में करना अनिवार्य है। आपके संस्थान में दौरे के दौरान मिली जानकारी व ईपीएफओ से मिली जानकारी अनुसार 10 से अधिक कर्मचारी(संविदा पर) आपके संस्थान में कार्यरत है। अतः आपके संस्थान हेतु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का पंजीकरण अनिवार्य है।

वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक पहल **"SPREE"(Scheme to Promote Registration of Employers/Employees)** योजना का प्रारम्भ किया गया है जो दिनांक 01.07.2025 से 31.12.2025 की अवधि के लिए है। जिसका पंफ्लेट एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिये जाने वाले हितलाभों की पंफ्लेट भी संलग्न है।

स्प्री योजना के निम्न प्रावधान है -:

1. इस अवधि के दौरान पंजीकृत नियोक्ता को पंजीकरण की तारीख से अथवा उनके द्वारा घोषित तारीख से व्याप्त माना जाएगा।
2. नए पंजीकृत कर्मचारियों को उनके पंजीकरण की तारीख से व्याप्त माना जाएगा।
3. 01 जुलाई 2025 से पहले कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कृत कारवाई/आवश्यक कार्यवाही, यदि कोई हो तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः **आप अपने संस्थान को स्प्री योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें,** जिससे आपके अधीन कार्यरत(संविदा) कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत मिलनेवाली हितलाभ प्रदान किये जा सके। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मे पंजीयन ऑनलाइन के माध्यम से www.esic.gov.in or shramsuvidha.gov.in or www.mca.gov.in पर जाकर पंजीयन कर सकते है। संस्थान के पंजीयन उपरांत इसकी जानकारी इस कार्यालय मे प्रदान करने की कृपा करे। यदि पंजीयन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस कार्यालय के दूरभाष(06532296010) या अधोहस्ताक्षरकर्ता(8871018700) से सीधे संपर्क कर सकते है।

धन्यवाद

भवदीय,
22/10/25
(अमर कुमार सिन्हा)
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, क.रा.बी. निगम,
गिरिडीह (झारखण्ड)

शाखा प्रबंधक/BRANCH MANAGER
क.रा.बी. निगम/E.S.I. CORPORATION
शाखा कार्यालय, गिरिडीह/BRANCH OFFICE, GIRIDIH